जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम. चाईबासा का कार्यालय।

(राजस्व शाखा)

(अनापत्ति प्रमाण पत्र)

कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर के पत्रांक– 686 दिनांक 31.08.2020 के द्वारा सोनुआ–पनसुवाँ–लोढ़ाई–गुदड़ी पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 41.56 तक के चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य के लिए सोनुआ एवं गुदड़ी अंचलान्तर्गत कुल 2.16 हेक्टर गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि का अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र के लिए अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, गुदड़ी के पत्रांक–71 दिनांक 04.09.2020 एवं अंचल अधिकारी, सोनुआ के पत्रांक–290 दिनांक– 04.09.2020 के द्वारा समर्पित भूमि सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त है। भूमि सत्यापन संबंधी प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार गुदड़ी अंचलान्तर्गत प्लॉट नं० 468/अंश किस्म जमीन डुंगरी है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा के पत्रांक–864 दिनांक–11.09.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित भूमि अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर है।

अतः उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक– 1817/रा० दिनांक–30.04.2015 के आलोक में सोनुआ–पनसुवाँ–लोढ़ाई–गुदड़ी पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 41.56 तक के चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य हेतु किस्म जमीन डुंगरी को छोड़कर निम्नांकित गैरमजरूआ भूमि Deemed forest (जंगल–झाड़ी) का सैद्धान्तिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है –

क्र०	जिला	अंचल	मौजा	थाना नं०	प्लॉट न०	रकवा (हे० में)	किस्म जमीन
1		2	3	4	5	6	7
1	पश्चिमी सिंहभूम	सोनुआ	पनसुवाँ	542	625	0.23	जंगल–डुंगरी
					638	0.28	जंगल–झाड़ी
					कुल रकवा	**0.51 हे०**	
2		गुदड़ी	कुटिपी	179	56	0.03	जंगल–झाड़ी
			सैदया	180	1111	0.01	जंगल–झाड़ी
			लोढ़ाई	181	214	0.13	जंगल–झाड़ी
					218	0.02	जंगल–झाड़ी
					236	0.09	जंगल–झाड़ी
					241	0.39	जंगल–झाड़ी
					819	0.02	जंगल–झाड़ी
					824	0.02	जंगल–झाड़ी
					678	0.03	जंगल–झाड़ी
					800	0.01	जंगल–झाड़ी
			जाते	182	1	0.33	जंगल–झाड़ी
					684	0.02	जंगल–झाड़ी
					686	0.01	जंगल–झाड़ी
					688	0.01	जंगल–झाड़ी
					964	0.45	जंगल–झाड़ी
					कुल रकवा	**1.57 हे०**	
				समेकित कुल रकवा		**2.08 हे०**	

उपर्युक्त विवरणी के अनुसार सन्निहित भूमि गैर मजरूआ Deemed forest भूमि (जंगल–झाड़ी) है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर लिया जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत् हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैर मजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी (Deemed forest) भूमि के सःशुल्क हस्तांतरण हेतु स्वीकृत्यादेश/राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

गैर मजरूआ Deemed forest भूमि (जंगल–झाड़ी) के लिए निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र के बाद प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि की अनुमति तबतक नहीं दी जायेगी जबतक उसके विधिवत हस्तांतरण हेतु स्वीकृत्यादेश/राज्यादेश निर्गत नहीं किया जायेगा।

ह०/-

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।

ज्ञापांक– 1105(B)/रा० दिनांक– 11-09-2020

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अंचल अधिकारी, सोनुआ/गुदड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अनुमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट–चक्रधरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट वन प्रमण्डल, चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, झारखण्ड, राँची /सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित ।

11/9/20

जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।